काउंसलिंग प्रक्रिया
–सह–
अभ्यर्थी मार्गदर्शिका

ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग

सत्र : 2015–16

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

अवलोकन : तकनीकी शिक्षा

राष्ट्र के मानव संसाधन विकास, श्रमशक्ति, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और जीवन गुणवत्ता के उन्नयन में तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत अभियांत्रिकी(Engineering), तकनीक(Technology), प्रबंधन(Management), वास्तुकला(Architecture), नगर–आयोजना(Town Planning), भैषजी (Pharmacy) तथा होटल प्रबंधन एवं पाक–तकनीक(Hotel Management & Catering Technology),अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प (Art and Craft) आदि सम्मिलित हैं।

मध्यप्रदेश में संचालित ऐसे संस्थान एवं पाठ्यक्रम जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली (भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय) से मान्यता प्राप्त है, के लिये शासन के प्राधिकृत अधिकारी संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा समस्त प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से सम्पादित की जाती है।

राज्य की तकनीकी शिक्षा प्रणाली मुख्यतः चारप्रकार की संस्था में विभाजित होकर संचालित हैं– शासकीय स्वशासी संस्थाएँ, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाएँ व स्ववित्तपोषी संस्थाएँ और निजी संस्थाएँ। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये आयोजित होने वाली ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग के लिये पाठ्यक्रमवार संस्थानों की संख्या (सत्र 2015–16में एआईसीटीई द्वारा परिवर्तन के अधीन) निम्नलिखित तालिकानुसारहै : –

क्र.	पाठ्यक्रम	संस्थान	सीटें
1	बी॰ई॰	212	98842
2	बी॰आर्क॰	4	360
3	बी॰फार्मा॰	76	5920
4	बी॰एच॰एम॰सी॰टी॰	2	180
5	डी॰फार्मा॰	24	1440
6	एम॰बी॰ए॰	199	21582
7	एम॰बी॰ए॰ (अंशकालिक)	7	420
8	एम॰सी॰ए॰	62	4140
9	एम॰टेक॰*	130	8644
10	एम॰फॉर्मा॰*	59	2806
11	पी॰पी॰टी॰	142	25694
12	नॉन–पी॰पी॰टी॰	21	2000
13	लेटरल इन्ट्री (बी.ई / बी.फार्मेसी)	288	20797
14	लेटरल इन्ट्री (आईटीआई से डिप्लोमा)	74	3900
15	लेटरल इन्ट्री (एम.सी.ए.)	66	1166
16	एम.ए.एम.(ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रम)	14	99
17	इंटीग्रेटेड एमसीए (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)	1	60
18	बी॰ई॰ (अंशकालिक)	1	120
19	एम॰टेक॰ (अंशकालिक)	3	54
20	एकलव्य एवं अंबेडकर योजनांतर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम	4	720

*केवल निजी क्षेत्र **विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता उपरांत

परिचय एवं प्रक्रिया : ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश विगत कई वर्षों से विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत काउंसलिंग का आयोजन कर रहा है। पूर्व में परम्परागत पद्धति से काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संपादित की जाती रही है जिसमें विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को किसी एक केन्द्र यथा –भोपाल के काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होता था। कालांतर में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निरंतर पाठ्यक्रमों की संख्या के साथ–साथ सीटों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। तेज गति से इस वृद्धि के कारण परंपरागत काउंसलिंग प्रक्रिया निरंतर विशाल स्वरूप धारण करती गई जिसमें प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने में अत्यधिक समयलगने लगा। इस काउंसलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2009 में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश ने एक नयी शुरूआत की, जब वेब–आधारित काउंसलिंग प्रारंभ की गयी। ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग शुरुआती रूप में कुछ सीमित पाठ्यक्रमों हेतु यथा–फार्मेसी, एमबीए और एमसीए के लिए आयोजित की गयी। सफलतापूर्वक इन पाठ्यक्रमों की वेब आधारित काउंसलिंग की सफलता को दृष्टिगत रखते हुएं वर्ष 2010 में बी.ई. पाठ्यक्रम जिसमें सर्वाधिक विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, कि काउंसलिंग भी ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संपादित की गई साथ ही साथ अन्य पाठ्यक्रमों यथा– एमई/एमटेक, एम.फॉर्मेसी, लेटरल एन्ट्री (डिग्री एवं डिप्लोमा), पीपीटी–डिप्लोमा आदि के लिये भी वेब आधारित ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वेब आधारित ऑनलाईन काउंसलिंग से न केवल विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के अमूल्य समय और धन की बचत हुई है बल्कि पूर्णतः पारदर्शिता भी आम जनता के लिये उपलब्ध कराई जा सकी। वर्तमान में समस्त व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग ऑनलाईन माध्यम से संचालनालय तकनीकी शिक्षा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

काउंसलिंग प्रक्रिया

ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख पाँच स्टेप

(1)	ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
(2)	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
(3)	ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)
(4)	ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
(5)	आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश (Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute)

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइटwww.dtempcounselling.org अथवाwww.mponline.gov.in पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाईन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

BE/BHMCT/ B.Arch./B&DPharmacy/ MBA/MCA/MAM/M.TECH/M.Pharmacy /LET- (B.E./B.Pharmacy))/Integrated MCA/ LET MCA etc.	₹430/– (पोर्टल चार्जेस ₹30/– सहित) (वापसी योग्य नहीं)-Non Refundable
Diploma (PPT)/Diploma (Non PPT)/ Eklavya Ambedkar/LET-(Diploma)	₹230/– (पोर्टल चार्जेस ₹30/– सहित) (वापसी योग्य नहीं)-Non Refundable

ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित माध्यमों से सम्मिलित हो सकते हैंः–

सारणी क्रमांक 1
इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अभ्यर्थी के निवास में इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अन्य शासकीय संस्थाएं आदि जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.inपर रहेगी) से।
- अभ्यर्थी के शहर/गॉव में स्थित इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- अभ्यर्थी वेबसाइटwww.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा Registration करावें
- ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवश्यक होगा, यथाः–
  - जेईई (मेन)/व्यापमं/गेट/जीपेट/नाटा/सी–मेट की प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर (प्रवेश परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के लिये)
  - जन्म तिथि
  - हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा का रोल नंबर
  - अर्हकारी परीक्षा का रोल नंबर (यथा 10वीं/12वीं/डिप्लोमा/स्नातक जो भी लागू हो)
  - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम

- ➢ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
- ➢ मोबाईल नंबर
- ➢ ई–मेल आईडी
- ➢ अन्य आवश्यक जानकारी जो तत्समय प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हो।

- पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:–

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग ➢ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड ➢ सभी अधिकृत शासकीय सहायता केन्द्रों (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) पर नगद भुगतान ➢ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान

- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा।

महत्वपूर्ण:–

- ❖ *अभ्यर्थी को प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल लें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं।*
- ❖ *अगली बार अभ्यर्थी लॉगईनआईडी (जोकि उसका रोल नंबर तथा जन्म तिथि होगी) तथा अपने पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेंगें। अभ्यर्थी जब भी लॉगईन करे अनिवार्यत: अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे।*
- ❖ *सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये **पासवर्ड** सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।*
- ❖ *अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।*
- ❖ *पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई थी, के आधार पर Forget Password के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।*

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

पंजीयन उपरांत **समय–सारणी में बताए अनुसार समस्त अभ्यर्थियों** को सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन निकटस्थ सहायता केन्द्रों (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) में करवाना होगा। सत्यापन उपरांत सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती प्राप्त करें तथा अपने पास सुरक्षित रखें।

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :–

- जेईई (मेन)/व्यापमं की प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (पाठ्यक्रमवार यथा जेईई (मेन)/पीपीटी/सी–मेट जो भी लागू हो)
- नाटा/गेट/जीपेट प्रवेश परीक्षा का वैद्य स्कोर कार्ड (पाठ्यक्रमवार बी.आर्क/एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मेसी के लिये जो भी लागू हो)

- अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- 10वीं की अंकसूची / प्रमाण–पत्र
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (परिवार का) सक्षम प्राधिकारी (कलेक्ट्रेट द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया हो अथवा स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण–पत्रअथवा स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र (यदि लागू हो)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) / सैनिक (S)का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के पुत्र / पुत्री होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- तकनीकी संवर्ग (टेक्नीकल स्ट्रीम) (TS)(यदि लागू हो)
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
  - जिला जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा
  - अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour)नेपियर टाउन, जबलपुरद्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।
- जम्मू–कश्मीर विस्थापित अथवा जम्मू–कश्मीर निवासी का प्रमाण–पत्र(J&K Migrant orJ&K Resident) (यदि लागू हो)
- संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय के ग्रेड को अंकों / प्रतिशत में बदलने का फार्मूला (ग्रेड आधारित अंकसूची की दशा में)
- एन.सी.सी. 'बी' / 'सी' सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

टीपः–1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक / अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ. / सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

*2) **सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।***

3) सहायता केन्द्र, अभ्यर्थियों को Eligble/Not Eligible की हस्ताक्षरित पावती जारी करेंगें।

4) Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही / चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी से काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं ।

3. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

पाठ्यक्रमवार अभ्यर्थी संस्थाओं/ब्रांच का प्राथमिकताक्रम से चयन कर लॉक कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा–

- अभ्यर्थीद्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे तथा घोषित समय–सारणी अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान कर लॉक करना होगा।अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
- **निर्धारित शुल्क का भुगतानकर लॉककरने के पूर्व**अभ्यर्थी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं ।
- अभ्यर्थी को शुल्क का भगुतान करते समय एक High Security Passwordउनके द्वारा पंजीयनकेसमय दिये गये मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि कर भुगतान की कार्यवाही संपादित करने के उपरांतइच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- सभी अभ्यर्थियों से आंशिक शिक्षण शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

BE/MCA/B&DPharmacy/M.E./M.Phar./ BHMCT/ B.Arch./ LET- (B.E./B.Pharmacy)/ LET –MCA/MAM/Integrated MCA/MBA	₹1100/– (पोर्टल चार्जेस ₹100/– सहित)
Diploma (PPT)/Diploma (Non PPT)/LET (ITI to Diploma)/Eklavya-Ambedkar scheme Diploma course	केवल पोर्टल चार्जेस ₹100/–

शुल्क का भुगतान **"सारणी क्रमांक 2–शुल्क भुगतान करने के विकल्प"** मे दर्शाये अनुसार ही करना होगा । अपनी च्वाईस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस का क्रम अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती को संभालकर अपने पास रखें ।

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन–पत्र में रहेगा। जिसे वे अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे। संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय–सीमा में, जोकि उनके प्रिंटआउट पर मुद्रित होगा, अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्यवाही सम्पादित करना आवश्यक होगाः–

1. यदि आवंटित संस्था/ब्रांच से संतुष्ट हैं तो उनके प्रिंटआउट पर दर्शाई अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में उपस्थित होकर ऑनलाईन प्रवेश प्राप्त करें तथा प्रवेशित संस्था से ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) अधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षरित अनिवार्यतः प्राप्त करें तथा स्वयं भी हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति संस्था में जमा करें।

2. **अपग्रेडेशन का विकल्प(केवल बीई पाठ्यक्रम के लिये)**–यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक है तो प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करें। (अपग्रेडेशन की सुविधा में प्रवेश परीक्षा के आधार पर केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में उपलब्ध रहेगी)

3. यदि अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों विकल्पों में से कोई कार्य सम्पादित नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि ₹1000/–की कटौती कर ली जावेगी ।

महत्वपूर्णः–

ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन (केवल बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के आधार पर केवल प्रथम चरण की काउंसलिंग में लागू) चाहते हैं वे प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि के पूर्व अपना अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत कर अपग्रेडेशन जारी होने तक इंतजार करें। उन्होंने जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम के ऊपर की चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये अपग्रेडेशन के माध्यम से आवंटन हेतु अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें तथा नये आवंटित संस्था में प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में ही प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश(Reporting, Document Verification and Admission in Alloted Institute)

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगा । प्रमाण–पत्रों की सूची निम्नानुसार हैः–

- वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंटआउट
- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- 10वीं की मूल अंकसूची/प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- आरक्षित श्रेणी/वर्ग से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
- अन्य कोई दस्तावेज जिसका उल्लेख हो

आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगाः–

- ➢ संस्था के अधिकृत अधिकारी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाईन उसकी एण्ट्री करेंगे तथा अभ्यर्थी का पासवर्ड अभ्यर्थी के द्वारा ही एंटर करवाकर रिपोर्टिंग लॉक करेंगे।

- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त कर संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रवेश पर्ची अभ्यर्थी को देंगे तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेंगे।
- अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होने पर Not Eligbileकी पर्ची प्रिंट होगी जिसे संस्था के अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरित कर अभ्यर्थी को एक प्रति दी जावेगी ।
- Not Eligbileअभ्यर्थी पुनः उस चरण की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं ।
- उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी तथा Not Eligbile अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी एवं प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेट्स को अपने लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड से अवश्य सुनिश्चित कर लें ।
- ***किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा न करें।***
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)

महत्वपूर्णः–

✓ 20 जुलाई, 2015 तक प्रवेशित संस्था से अभ्यर्थी अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं तथा नियमानुसार कटौती उपरांत शुल्क वापिस की जावेगी। निर्धारित अंतिम तिथि (20 जुलाई, 2015) के बाद प्रवेश निरस्त नहीं होगा अपितु अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

द्वितीय चरण की काउंसलिंग

प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय चरण की काउंसलिंग (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित पाठ्यक्रमों के लिये) आयोजित की जावेगी जिसमें निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगेः–

(एक) यदि प्रवेश परीक्षा के आधार पर आयोजित की जाती है :–

1. जो प्रथम चरण की काउंसलिंग में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके थे ।
2. जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सके थे अर्थात नॉट रिपोर्टेड थे अथवा जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हो सका था।
3. जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया है।

नोटः– इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा ।

(दो) अर्हकारी परीक्षा के आधार पर :–

ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सके थे वे अर्हकारी परीक्षा के आधार पर इस काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी को प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी स्टेप्स का पालन करना होगा साथ ही साथ समस्त अभ्यर्थी को अधिकृत सहायता केन्द्रों में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक है ।प्रवेश परीक्षा के आधार पर आवंटन उपरांत शेष स्थानों पर इन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर अभ्यर्थी के कॉमन मेरिट अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन किया जावेगा।

आंतरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Change)

केवल बी.ई. पाठ्यक्रमों में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के पश्चात् संस्था विशेष में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

नोटः– किसी भी चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2015 तक निरस्तीकरण की कार्यवाही अभ्यर्थी को अपनी प्रवेशित संस्था से ही करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर 20 जुलाई, 2015 अथवा उसके पूर्व उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते है।

काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइटः–
www.dtempcounselling.org **www.mponline.gov.in**

नोटः– पाठ्यक्रम विशेष के प्रवेश नियम, प्रवेश प्रक्रिया, **समय–सारणी** तथा समय–समय पर जारी किये जाने वाली सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी, तदनुसार सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है।

ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग

छात्र–छात्राओं/अभिभावकों हेतु सुझाव

1 विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी.ई., बी.आर्किटेक्चर, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी, फार्मेसी(बी/डी), डिप्लोमा, एमसीए, एम.ई/एम.टेक., एम. फार्मेसी, लेटरल एंट्री के माध्यम से बी.ई./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा(इंजीनियरिंग)/एमसीए /इंटीग्रेटेड एमसीए/एमएएम आदि में प्रवेश ऑनलाईन किये जाते हैं जिसमें छात्र/छात्राएं इंटरनेट के माध्यम से सम्मिलित हो सकेंगें।

2 समय–समय पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन का सूक्ष्म अध्ययन करें। उक्त विज्ञापन तथा निर्देश वेबसाईट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।

3 काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश नियम पुस्तिका का गहन अध्ययन कर लें। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश नियम पुस्तिका वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

4 ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया जो वेबसाईट पर उपलब्ध है, का गहन अध्ययन कर लें तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज/जानकारी एकत्रित कर लें।

5 अपने निकट के सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाईट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in से प्राप्त कर लें।

6 ऑनलाईन आफ कैम्पस काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त संस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर लें जिनमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हैं अथवा अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाइस में भरना चाहते हैं।

7 संस्थाओं की संक्षिप्त प्रोफाइल वेबसाईट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ संबंधित संस्था की वेबसाईट पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें।

8 अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा एवं शासन द्वारा कॉलसेन्टर स्थापित किये जावेंगे जिनके नम्बर काउंसलिंग कार्यक्रम में प्रकाशित किये जावेंगे तथा ये नंबर वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेंगे ।

9 अभ्यर्थी ऑनलाईन आफ कैम्पस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि वे जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवश्यक अर्हता रखते हैं, यह भी सुनिश्चित करें कि अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज प्रक्रिया के समय उनके पास उपलब्ध है ।

10 अभ्यर्थियों को सलाह है कि यथासंभव वे अपने घर से अथवा शासकीय सहायता केन्द्रों से ही इंटरनेट के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों ।

11 समस्त मूल प्रमाण–पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध नियम पुस्तिका में दिये अनुसार तैयार रखें। इनके अभाव में आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं ।

12 अपने मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस ले लें ।

13 मूल दस्तावेज सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में जमा नहीं करना है। केवल एक–एक फोटोप्रति जमा करनी है ।

14 अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु संस्थाओं के गतवर्ष के कट–ऑफ अंक वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

15 संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र में मूल दस्तावेजों सत्यापन के उपरान्त सहायता केन्द्र से Eligible/Not Eligibleकी सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्तपावती अवश्य प्राप्त करें तथा उक्त पावती अपने पास सुरक्षित रखे।

16 Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर सही प्रारूप में दस्तावेज प्रस्तुतकरपुनः सत्यापन करा सकता है।

17 आरक्षित श्रेणी में Not Eligible अभ्यर्थी, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते है किन्तु उन्हें अनारक्षित श्रेणी (UR) का अभ्यर्थी माना जाएगा तथा उन पर अनारक्षित श्रेणी के सभी नियम लागू होंगे।

18 सत्यापन उपरांत प्राप्त पावती को ध्यानपूर्वन पढ़ लें तथा अपनी Eligibility Statusकी जाँच कर लें तथा ऑनलाईन Check Candidate Status के माध्यम से भी जाँच कर लें।

19 ऑनलाईन काउंसलिंग के विभिन्न स्टेप्स पर भरे जाने वाले शुल्क की ऑनलाईन रसीद का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें तथा अपने पास सुरक्षित रखें ।

20 शुल्क के भुगतान के विभिन्न माध्यम काउंसलिंग प्रक्रिया में बताई गई है। तद्नुसार शुल्क का भुगतान करें। बिना शुल्क भुगतान के की गई काउंसलिंग प्रक्रिया अपूर्ण मानी जावेगी तथा अमान्य किया जावेगा।

21 ऑनलाईन काउंसलिंग की पंजीयन (Registration) प्रक्रिया के समय प्राप्त **पासवर्ड को** सुरक्षित एवं गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो। किसी भी परिस्थिति में अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं।

22 अभ्यर्थीसुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना पासवर्ड बदल सकता है।

23 अभ्यर्थी पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। जिसमें कम से कम एक अथवा अधिक से अधिक सभी संस्थाओं/पाठ्यक्रमों का प्राथमिकता के अनुसार चयन कर सकते हैं।

24 संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम भरने के पूर्व समस्त संस्थाओं की सूची अपने पास रखें जिसे वे वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले प्राथमिकताक्रम निर्धारित कर लें तत्पश्चात इंटरनेट के माध्यम से स्वयं अपनी च्वाईस भरें।

25 प्राथमिकता क्रम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः ध्यान से सोच–समझकर भरें। इसके भरने में जल्दबाजी न करें। च्वाईस भरने हेतु निर्धारित तिथियों में आप अपनी च्वाईस

कई बार बदल सकते हैं बशर्ते कि आपने शुल्क का भुगतान नहीं किया हो अर्थात् अपनी च्वाईस लॉक नहीं की है। च्वाईस लॉक करने के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

26 प्राथमिकताक्रम/च्वाईस भरने के बाद शुल्क भुगतान करना होगा अर्थात लॉक करना होगा। शुल्क भुगतान के बाद ही आपकी प्राथमिकताक्रम/च्वाईस भरने की प्रक्रिया पूरी होगी।

27 शुल्क भुगतान करने के बाद आप अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाईस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपने प्राथमिकताक्रम को अपनी इच्छानुसार कई बार परिवर्तित कर सकते हैं।

28 प्राथमिकताक्रम/च्वाईस पूर्णतः स्वविवेक से भरे तथा अपने अभिभावकों की सलाह लें। किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आवें। जो क्रम आपके द्वारा भरा जावेगा उसी क्रम में संस्थाओं का आवंटन कम्प्यूटर द्वारा आपकी मेरिट की पात्रता अनुसार होगा।

29 अभ्यर्थियों द्वारा भरी प्राथमिकताक्रम के अनुसार तथा उनकी मेरिट से संस्थाओं/पाठ्यक्रम का आवंटन होगा।

30 अभ्यर्थी अपना लॉगिनआईडी व पासवर्ड डाल कर आवंटित संस्था तथा पाठ्यक्रम का नाम बेवसाईट www.dtempcounselling.org/www.mponline.gov.inसे प्रिंटआउट प्राप्त कर लें।

31 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आवंटित संस्था में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग नहीं करने की दशा में उक्त सीट रिक्त मानी जावेगी तथा अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा ।

32 अपग्रेडेशन (सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम विशेष के प्रथम चरण की काउंसलिंग पर लागू) के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन का विकल्प चयन कर, अपग्रेडेशन होने तक इंतजार करना होगा तथा अपग्रेडेशन होने की स्थिति में नया आवंटन पत्र प्राप्त कर दर्शाई गई अंतिम तिथि तक संस्था में रिपोर्ट करना होगा। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेना होगा।

33 आवंटन पश्चात आवंटन पत्र तथा सभी मूल दस्तावेज व उनकी दो–दो फोटोप्रतियां तथा आवश्यक शुल्क सहित आवंटित संस्था में रिपोर्ट करें तथा प्रवेश प्राप्त करें ।

34 प्रवेश उपरांत संस्था से प्रवेश होने संबंधी ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (जोकि संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो) प्राप्त करें और इसे संभालकर रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश पर्ची में प्रवेशित **(Admitted)** दर्शाया गया है, का उल्लेख है। अभ्यर्थी ऑनलाईन भी अपने प्रवेश के संबंध में Check Statusके माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं ।

35 अधूरे तथा दस्तावेजों की कमी होने पर आपको ऑनलाईन **Not Eligible for Admission** की पर्ची दी जावेगी और अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यद्यपि अभ्यर्थी **आवंटन पत्र में दर्शाई गई निर्धारित अंतिम तिथि तक** अधूरे तथा दस्तावेजों की कमी की पूर्ति कर पुनः संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकता है ।

36 किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क संस्था में जमा न करें। संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण ''प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश'' द्वारा किया जाता है। शुल्क का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी ।

37 संस्थाओं द्वारा अधिक शुल्क की मांग किये जाने पर ''प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश'' (AFRC)टैगोर होस्टल कैम्पस, श्यामला हिल्स, भोपाल में शिकायत दर्ज करायें।

38 आवंटन उपरांत प्रवेश के अनिच्छुक अभ्यर्थियों तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व तक अपना प्रवेश निरस्त कराने वाले अभ्यर्थियों को जमा आंशिक शिक्षण शुल्क में से नियमानुसार राशि काटकर वापिस कर दी जावेगी ।

39 संस्था में प्रवेश उपरांत निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपना प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। इसके लिये वे संस्था में आवेदन प्रस्तुत करें तथा ऑनलाईन प्रवेश निरस्तीकरण की रसीद प्राप्त करें ।

40 प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2015 के 7 दिन पूर्व तक अपना प्रवेश संस्था से ऑनलाईन निरस्त करवा सकते हैं । यदि संस्था निरस्त करने में आनाकानी करती है अथवा मना करती है तब ऐसी परिस्थिति में उक्त तिथि तक नजदीकी सहायता केन्द्र पर संस्था के विरूद्ध शिकायत करते हुए अपना प्रवेश निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त करवा सकते हैं किन्तु उक्त कार्यवाही निर्धारित अंतिम तिथि (13 जुलाई, 2015) के पूर्व सम्पादित करनी होगी ।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां
✓ मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी है।
✓ काउंसलिंग में पंजीयन के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जायेंगे।
✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित/विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थानों की सूची वेबसाईट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग–2014

विद्यार्थी एवंअभिभावक को ध्यान देने योग्य बिन्दु

- विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा BE(FT/PT)/B.Arch./ B.Pharmacy/D.Pharmacy / Diploma (PPT Courses) / Diploma (Non-PPT Courses)/MAM /ME-MTech(FT/PT)./M.Pharma./Lateral Entry-(BE/B.Pharma.)/Lateral Entry-(ITI/Diploma)/MCA/LET-MCA/Integrated-MCA/MBAप्रवेश ऑनलाईन किये जाते हैं।
- ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से उपरोक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम/निर्देश/काउंसलिंग–प्रक्रिया/विज्ञापन/समय–सारणी/गतवर्ष के कट–ऑफ अंक/सहायता केन्द्रों की सूची/पाठ्यक्रम वार संस्थाओं की सूची, इत्यादि वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों का अध्ययन कर लें। संशय की स्थिति में अपने निकट के सहायता केन्द्रों पर संपर्क करें। सहायता केन्द्रों (जोकि शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय हैं)की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- जिन संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन संस्थाओं की समस्त जानकारी प्रवेश के पूर्व प्राप्त कर लें एवं उन संस्थाओं को अपनी च्वाइस फिलिंग के समय प्राथमिकताक्रम में बहुत सोच समझ कर पूर्णतः स्वविवेक से भरे। कम्प्युटर पर च्वाईस भरने के पूर्व संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम सूची तैयार रखें और सूची अनुसार कम्प्यूटर पर लॉगइन कर अपनी च्वाईस भरें तथा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत च्वाईस लॉक करने की अंतिम तिथि के पूर्व लॉक करें। **शुल्क भुगतान करने के बाद आप अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाईस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।**
- काउंसलिंग के पंजीयन (Registration) करने के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें।
- निजी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क का निर्धारण ''प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश'' द्वारा किया जाता है, फीस की जानकारी वेबसाइट www.afrcmp.org पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी अपने निवास से अथवा शासकीय सहायता केन्द्रों से भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों। किसी दलाल/कमीशन एजेन्टों को अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज, शुल्क आदि न देवें। ऐसे व्यक्ति आपको गुमराह कर सकते हैं।
- मूल दस्तावेज सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में जमा नहीं करना है। मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति जमा करनी है।
- ऑनलाईन पंजीयन, सत्यापन (सत्यापन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित), ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग, आवंटन पत्र तथा संस्था में रिर्पोटिंग (संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) के पश्चात् आदि की ऑनलाईन पावती अवश्य प्राप्त करें एवं संभाल कर रखें।
- ऑनलाईन काउंसलिंग की पंजीयन (Registration) प्रक्रिया के समय प्राप्त **पासवर्ड** को सुरक्षित एवं गोपनीय रखें तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें । किसी भी परिस्थिति में अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं।
- **किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आवें, तथा कमीशन एजेंटों/दलालों से सावधान रहें। किसी की भी बातों में आकर उनके द्वारा बताई गई संस्था में प्रवेश न लें। अभिभावक व विद्यार्थी संस्थाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वयं संस्थानों में जाकर प्राचार्य/संचालक से मिलकर संस्थानों की जानकारी प्राप्त करें।**
- विभिन्न चरणों के माध्यम से आयोजित होने वाली काउंसलिंग में सम्मिलित होकर ही प्रवेश प्राप्त करें। संस्थाओं द्वारा सीधे प्रवेश की कार्यवाही नहीं की जाती है। सभी प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से ही किये जाते हैं।

ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग

सहायता केन्द्र (Help Centre) की भूमिका

1. काउसिंलिंग ऑनलाईन होनी है अतः यह सुनिश्चित करें जिस हॉल/कमरे में बैठक व्यवस्था की जा रही है वहां बिजली, पानी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था है।
2. कम्प्युटर, प्रिंटर तथा इंटरनेट की व्यवस्था है। सतत् कार्य हेतु बिजली आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था है।
3. यथा संभव अधिक से अधिक कम्प्युटर हों और वे इंटरनेट से कनेक्टेड हों।
4. ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया, पाठ्यक्रमवार प्रवेश नियम पुस्तिका, समय–समय पर जारी किये जाने वाले विज्ञापन, काउंसलिंग की समय सारणी, परिपत्र आदि का सूक्ष्मता अध्ययन कर लें।
5. अपने सहायता केन्द्र (Help Centre) की लॉगईन आईडी तथा पासवर्डएमपीऑनलाईन से यथा समय प्राप्त कर लें।
6. अपने लॉगईनआईडी तथा पासवर्ड को गुप्त रखें तथा अधिकृत नोडल अधिकारी तथा प्राचार्य द्वारा अधिकृत अधिकारी ही इसका उपयोग करें। लॉगईनआईडी/पासवर्ड के माध्यम से कार्य करने वाले अधिकारियों के कार्य का रिकार्ड रखें तथा प्रतिदिन मिलान करें।
7. प्रवेश परीक्षाओंके प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम/ द्वितीय चरण की काउंसलिंग की जावेगी। तत्पश्चात् भी सीटें रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर काउंसलिंग की जावेगी।
8. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन कार्य गंभीरता एवं त्रुटिरहित संपादित करें तथा सत्यापन कार्य पाठ्यक्रमवार समय–सारणी में दर्शाये अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. प्रवेश परीक्षा की अंकसूची एवं फोटो/हस्ताक्षर से अभ्यर्थी का मिलान कर ले। अर्हकारी परीक्षा के अनुसार ही अभ्यर्थी का नाम एवं अभ्यर्थी के पिता का नाम का मिलान भी सुनिश्चित करें।
10. सहायता केन्द्र (Help Centre) अपने लॉगईनआईडी एवं पासवर्ड से वेबसाईट में लॉगिन कर अभ्यर्थी का ऑनलाईन सत्यापन प्रक्रिया को सुनिश्चित करें।
11. मूल दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत उसकी एण्ट्री कम्प्युटर पर करें तथा **Eligible/Not Eligible**की स्लिप हस्ताक्षर करने के बाद एक प्रति अभ्यर्थी को अवश्य प्रदान करें। उक्त सत्यापन स्लिप की एक प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त कर अपने पास रिकार्ड के लिये सुरक्षित रखें।
12. सत्यापन उपरांत समस्त मूल प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को वापिस कर दें।
13. **Not Eligible**अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व सही दस्तावेजों के साथ पुनः सहायता केन्द्र (Help Centre) में उपस्थित होकर अपनी **Eligibility** करवा सकतें हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी पुनः उपस्थित होने पर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अपनायें।
14. प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा समय–सारणी में बताये अनुसार जिन**अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रों पर कराया जाना आवश्यक है।** उनके

दस्तावेजों का सत्यापन प्रवेश के समय आवंटित संस्था में संस्था के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।

15. अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में **सभी श्रेणी के अभ्यर्थी** के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन सहायता केन्द्रों (Help Centres) द्वारा की जावेगी।
16. सहायता केन्द्र के माध्यम से हुए सत्यापन का रिकार्ड रखें तथा प्रत्येक सत्यापन अधिकारी जिसे अधिकृत किया गया है, के द्वारा किये गये **सत्यापन कार्यों का प्रतिदिन मिलान करते रहें।**
17. सहायता केन्द्र (Help Centre) के बाहर ऑनलाईन काउंसलिंग से संबंधित दिशा–निर्देश अभ्यर्थी की सुविधा के लिये चस्पा करें/लगायें।
18. किसी भी प्रकार के भ्रम/समस्या की स्थिति में सहायता केन्द्र (Help Centre) के नोडल अधिकारी एम.पी.ऑनलाईन/संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के अधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त करें।
19. यदि अभ्यर्थी किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थिति होने में असमर्थ होता है तो उसके अभिभावक निम्न शर्तो पर मान्य होंगेः–
    (अ) अभ्यर्थी का अधिकार पत्र जिसमें उसने उक्त अभिभावकों को सत्यापन के लिए अपने स्थान पर उपास्थित होने का अधिकार–पत्र दिया हो
    (ब) चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण–पत्र। यदि बाद में अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी गलत पायी गयी तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसका उत्तरदायी पूर्णतः अभ्यर्थी होगा।
20. सहायता केन्द्र (Help Centre) में अनाधिकृत प्रवेश न होने दें। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सहायता केन्द्र (Help Centre) के प्रांगण में प्रवेश वर्जित रखें।
21. अभ्यर्थी को सलाह दें कि वे यथासंभव ऑनलाईन काउंसलिंग में अपने घर से अथवा सहायता केन्द्र (Help Centre) में स्थित इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए काउंसलिंग की विभिन्न प्रक्रिया पूरी करें। इन दोनों विकल्प के अभाव में नजदीक के इंटरनेट कैफे से काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हों।
22. छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों के लिये जारी दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा उन्हें इनका सूक्ष्म अध्ययन करने की सलाह दें।

ऑनलाईन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग
संस्थाओं के दायित्व

1 ऑनलाईन काउंसलिंग की विभिन्न स्तर पर की जाने वाली ऑनलाईन प्रक्रिया को करने के लिये इंटरनेट की सुविधा सहित कम्प्युटर, प्रिंटर एवं आवश्यक स्टेशनरी आदि की व्यवस्था रखें।

2 बिजली/पावर बैकअप सहित काउंसलिंग सेल की अलग व्यवस्था रखें।

3 कम्प्युटर/इंटरनेट के जानकार तथा पूर्व से प्रशिक्षित अनुभवी फैकल्टी/प्रशासकीय अधिकारियों को इस कार्य के लिये नामांकित करें।

4 संस्थाओं के लॉगईनआईडी तथा पासवर्ड यथा समयएमपीऑनलाईन से प्राप्त कर लें।

5 संस्था की समस्त प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होगी अतः अपने लॉगईनआईडी तथा पासवर्ड को सुरक्षित व गोपनीय रखें। आपकी संस्था के लिये प्रदाय लॉगईनआईडी तथा पासवर्ड से वेबसाईट www.mponline.gov.in लॉगईन होकर समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के ऑनलाईन कार्य को सम्पादित करें।

6 समस्त प्रवेश नियमों, ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया, समय–सारणी के साथ–साथ संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने विज्ञापनों आदि का सूक्ष्म अध्ययन कर लें । समस्त जानकारियां वेबसाईट/संस्था के लॉगइनआईडी पर उपलब्ध रहेगी। संस्थाएं इन सभी निर्देशों को सुरक्षित एक फाईल में रखें।

7 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश की काउंसलिंग के लिये वेबसाईट तथा एमपीऑनलाईन की काउंसलिंग वेबसाईट क्रमशः www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in को सतत् विजिट करें और आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन करें।

8 छात्र–छात्राओं को संस्था आवंटित होने पर, आवंटित अभ्यर्थी की सूची वेबसाईट पर जारी की जावेगी जिसे आप अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड से लॉगईन होकर देख लें तथा इस सूची का एक प्रिंटआउट भी प्राप्त कर लें।

9 आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटन–पत्र, समस्त मूल प्रमाण–पत्र, उनकी फोटोकॉपी का एक सेट तथा आवश्यक शुल्क सहित उपस्थित होने पर,संस्था अपने लॉगईनआईडी तथा पासवर्ड से लॉगईन होकर उनके प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन ही पूर्ण करेंगे।

10 मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी को वापिस करें। मूल दस्तावेज कतई जमा न करायें। दस्तावेजों की एक–एक फोटोप्रति रिकार्ड के लिये अपने पास रखें। स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) अनिवार्यतः मूल रूप से प्राप्त करें तथा अपने रिकॉर्ड में रखें।

11 सत्र 2015–16 से स्वघोषित मूल निवासी प्रमाण–पत्र एवं स्वघोषित आय प्रमाण–पत्र मान्य किया जा रहा है। अतः उक्त घोषित प्रमाण–पत्र मूल रूप से विद्यार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों के साथ संस्था में अपने रिकॉर्ड में रखें।

12 रिपोर्टिंग के दौरान यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी भी अपना पासवर्ड डालकर अपना प्रवेश को सुनिश्चित करेगा अतः आपके स्तर की कार्यवाही कम्प्युटर पर करने के उपरांत अभ्यर्थी को उसके पासवर्ड को डालने को कहें।

13 अभ्यर्थी के पासवर्ड किसी भी परिस्थिति में संस्था के अधिकारी इंटर न करें न ही अभ्यर्थी के पासवर्ड उनसे मांगे।

14 आवंटित संस्था में प्रवेश के दौरान अधूरे अथवा गलत दस्तावेज होने पर तदनुसार एण्ट्री करें तथा कम्प्युटर से Not Eligbile for Admission की पावती प्रिंट कर अपने हस्ताक्षर उपरांत अभ्यर्थी को दें तथा एक प्रति अपने रिकार्ड के लिये सुरक्षित रखें।अभ्यर्थी के Not Eligbile होने की स्थिति में उसके संज्ञान में लाया जाना संबंधित संस्था/अधिकारी का कर्तव्य होगा।

15 Not Eligbile अभ्यर्थी अपने अधूरे दस्तावेजों की पूर्ति कर काउंसलिंग के उस चरण के लिये प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन कर पुनः ऑनलाईन रिर्पोटिंग की कार्यवाही करें।

16 प्रवेश की कार्यवाही पूर्णकर ऑनलाईन के माध्यम से **प्रवेश की पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा हस्ताक्षर कर** उसकी एक प्रति अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दें।

17 जिन अभ्यर्थी ने आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर अपना प्रवेश ले लिया है लेकिन किसी कारणवश वे प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2015तक निरस्त करवा सकते हैं।

18 किसी भी स्थिति में संस्था द्वारा गलत प्रवेश दिये जाने पर ऐसे प्रवेश को तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा तथा अंत में संस्था को इस कारण सीटों का नुकसान होने की संभावना रहेगी।

19 निरस्तीकरण हेतु आवेदन लें तथा उसकी ऑनलाईन एण्ट्री अनिवार्यतः अपने लॉगईनआईडी के माध्यम से करें तथा निरस्तीकरण की पावती अभ्यर्थी को दें।

20 निर्धारित अंतिम तिथि 13 जुलाई, 2015 तक प्रवेश निरस्त करवाने वाले अभ्यर्थी को उनके द्वारा जमा शुल्क में से एक सेमेस्टर के शुल्क की 10 प्रतिशत राशि काटकर समस्त जमा राशि वापिस करें। उक्त कार्यवाही संस्थाओं द्वारा संपादित की जानी है अतः विद्यार्थियों को अनावश्यक गुमराह न करें।

21 अपने लॉगईनआईडी से लॉगईन होकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों द्वारा आपकी संस्था में Admitted List, Cancellation, Not Reported, Not Eligible आदि की सूची ऑनलाईन समय–समय पर प्राप्त करते रहें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही ठीक है तथा टैली हो रही है।

22 ''प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति'' मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित शुल्क ही सेमेस्टरवार अभ्यर्थियों से ली जावें। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग न करें।

23 प्रवेश की अंतिम तिथि 13 जुलाई, 2015 के पश्चात् अभ्यर्थी का प्रवेश ऑनलाईन निरस्त नहीं किया जावेगा अतः संस्थाएँ प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी को केवल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जारी करेंगी। उक्त संबंध में अभ्यर्थी को अनावश्यक रूप से संचालनालय/एमपीऑनलाईन में संपर्क करने की सलाह देकर दिग्भ्रमित न करें।

अन्य काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश

1. शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

उक्त योजना के अंतर्गत केवल बी.ई./पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं।

शिक्षण शुल्क छूट योजना (Tuition Fee Waiver Scheme) की काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो निम्नलिखित चारों शर्तों की पूर्ति करते हों:–

1. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹4.5 लाख रूपये से कम है
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों
3. संबंधित पाठ्यक्रम (यथा बी.ई./पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के प्रवेश नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा
4. बी.ई.पाठ्यक्रम हेतु JEE (Main)-2015 तथा पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु PPT-2015 में सम्मिलित हुए हों।

शिक्षण शुल्क छूट योजना (Tuition Fee Waiver Scheme) की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों प्राप्त होने वाली सुविधाः–

इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित की गई हो, रियायत दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।

महत्वपूर्णः–

इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

2. अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश

जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस योजना के अंतर्गत सीटों को भरने हेतु आवेदन कर अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटों पर मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित **''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011''{Admission (Reservation to Non-Resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011}**के आधार पर **स्वीकृत** पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (जिनके माता या पिता अनिवासी भारतीय हों) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित तिथि को केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाते हैं।

इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा । वर्तमान में उक्त शुल्क ₹1.5 लाख निर्धारित है।

विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय–सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

3. संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई./बी.फार्मेसी/बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिये सहमति देने वाले कुछ संस्थानों की 10 प्रतिशत सीटों पर संस्था स्तर पर संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश प्रतिनिधि की उपस्थिति में काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं।

संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया था। संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी तथा इस सीटों पर प्रवेश पश्चात् संस्था द्वारा घोषित वार्षिक शिक्षण शुल्क ही लिया जावेगा (संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी)

इन सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगी:–

1. स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रत्येक संस्था में प्रवेश के समय उपलब्ध उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
2. इन सीटों को "**केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण**" पूर्ण होने के उपरांत भरने की अनुमति होगी।
3. यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
4. इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
5. किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

महत्वपूर्ण:–

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध छात्रवृत्ति/कल्याणकारी योजनाएं

विक्रमादित्य शिक्षा योजना	विक्रमादित्य योजना के अन्तर्गत राज्य के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र–छात्राएँ जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹42,000/– (बयालिस हजार रूपये) से अधिक न हो, मध्यप्रदेश के वास्तविक मूलनिवासी हो तथा जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, उन्हें प्रवेश लेने की तिथि से पाठ्यक्रम अवधि के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। इन छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा को प्रवेशित संस्था के प्राचार्य को आवेदन करना होता है जिसकी स्वीकृति संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी की जाती है।
सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना	सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र–छात्राएँ जो कि मध्यप्रदेश के वास्तविक मूलनिवासी हों तथा जिनके माता–पिता/ अभिभावक की वार्षिक समस्त स्रोतों से ₹75,000/– (पिच्चहत्तर हजार रुपये) से अधिक न हो तथा उनके परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो तथा जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम् 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता है। (पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग को देय छात्रवृत्ति की राशि के समतुल्य भुगतान की जाती है)। इन छात्रवृत्तियों की संख्या इन छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा को प्रवेशित संस्था के प्राचार्य को आवेदन करना होता है जिसकी स्वीकृति संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी की जाती है। इंजीनियरिंग के छात्र–छात्राओं के लिए इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ₹190 प्रतिमाह गैर छात्रावासी और ₹425 प्रतिमाह छात्रावासी का प्रावधान है। और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के छात्र–छात्राओं के लिए ₹100 पुरुष तथा ₹110 महिला गैर छात्रावासी हेतु तथा महिला छात्रावासी के लिए ₹145 प्रतिमाह का प्रावधान है।
विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पोलीटेकनिक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्राओं के लिये उपलब्ध योग्यता छात्रवृत्ति (शासकीय/शासन द्वारा स्वशासी घोषित संस्थानों के लिये)	10+2 प्रणाली की 10वीं परीक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को पात्रता होगी। इन छात्रवृत्तियोंकी संख्या 166 है। इस छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा को संबंधित प्रवेशित संस्था के प्राचार्य को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसकी स्वीकृति के संबंध में संस्था द्वारा प्रस्ताव संचालक तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रेषित किया जाता है, जिसकी स्वीकृति मेरिट के आधार पर संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ₹ 75 प्रतिमाह का प्रावधान है।
शौर्य पुरस्कार से सम्मानित मध्यप्रदेश के बहादुर बच्चों को छात्रवृत्ति (तकनीकी शिक्षा के प्रथम वर्ष)	इन छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रकरण सीधे संचालक तकनीकी शिक्षा को प्राप्त होते हैं जिसकी स्वीकृति नियमानुसार संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ₹ 500 प्रतिमाह का प्रावधान है।
मेरिट योग्यता छात्रवृत्ति (राज्य के बाहर इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर)	इन छात्रवृत्तियों के लिये 10+2 की 12वीं कक्षा की परीक्षा, म.प्र. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए, उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रात होगी। इन छात्रवृत्तियों की संख्या 22 है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन–पत्र अध्ययनरत संस्था को करना होता है जो बाद में संस्था द्वारा संचालक तकनीकी शिक्षा को अग्रेषित की जाती है। संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत 250 रु. प्रतिमाह के अनुसार 10 माह की स्वीकृत की जाती है।
मेरिट योग्यता छात्रवृत्ति (इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में बी.ई. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेशित एवं द्वितीय वर्ष बी.ई. में डिप्लोमाधारी नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिये) (शासकीय/शासन द्वारा स्वशासी घोषित/शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिये)	(1) इन छात्रवृत्तियोंके लिये 10+2 की 12वीं की परीक्षा, म.प्र. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए, उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। इन छात्रवृत्तियों की संख्या 37 है। (2) द्वितीय वर्ष बी.ई. में डिप्लोमाधारी नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा की अंतिम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए मध्यप्रदेश में स्थित किसी संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए। इन छात्रवृत्तियों की संख्या 07 है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा को आवेदन–पत्र अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य को करना होता है जो संस्था द्वारा संचालक तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रेषित किया जाता है। संचालक तकनीकी शिक्षा के द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत बी.ई. प्रथम वर्ष 125 रु. प्रतिमाह के अनुसार 10 माह की स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्तियों की छात्रवृत्तियों की संख्या कुल 37। बी.ई. द्वितीय वर्ष डिप्लोमा धारी 125 रु. प्रतिमाह के अनुसार 10 माह की स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्तियों की छात्रवृत्तियों की संख्या कुल 7।
पोलीटेकनिक छात्रवृत्ति (प्रथम वर्ष डिप्लोमा में नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिये) (शासकीय/शासन द्वारा स्वशासी घोषित संस्थानों के लिये)	इन छात्रवृत्तियों के लिए 10+2 की 12वीं की परीक्षा, म.प्र. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए, उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। इन छात्रवृत्तियों की संख्या 37 है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा को आवेदन–पत्र अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य को करना होता है जोकि संस्था द्वारा संचालक तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रेषित किया जाता है। संचालक तकनीकी शिक्षा के द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी की जाती है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत 75 रु. प्रतिमाह के अनुसार 10 माह की स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्तियों की संख्या कुल 37।
एकलव्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय योजना	अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये यह योजना एकलव्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय के नाम से छात्रों हेतु झाबुआ में एवं छात्राओं हेतु मण्डला में संचालित की जा रही है। इन पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को ₹1,000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा पूर्णतः आवासीय योजना है जिसमें रहने तथा भोजन की भी मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। इन पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश संस्था स्तर पर अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किये जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन जून, 2013 में प्रकाशित किया जावेगा।
डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर पोलीटेकनिक महाविद्यालय योजना	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये यह योजना डॉ. अम्बेडकर पोलीटेकनिक महाविद्यालय के नाम से छात्रों हेतु मुरैना में और छात्राओं हेतु सीहोर में संचालित की जा रही है। इन पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को ₹1,000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा पूर्णतः आवासीय योजना है जिसमें रहने तथा भोजन की भी मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। इन पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश संस्था स्तर पर अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किये जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन जून, 2013 में प्रकाशित किया जावेगा।